रजिस्टर्ड नं० ल०-33/एस० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 9 नवम्बर, 1990/18 कार्तिक, 1912

हिमाचल प्रदेश सरकार

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-1, *the 8th October*, 1990

No. HIM/TP-128/90-4487-4586.—In exercise of powers vested in me under sub-section (2) of section 77 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. (12) of 1977) as amended *vide* amendment Act No. 14, I hereby, delegate the powers as exerciseable under sections 38 & 39 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977) in respect of Una Planning Area to the Planning Officer Sub-divisional Town Planning Office, Una.

Sd/-
Director.

कार्यालय उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला

कार्यालय आदेश

धर्मशाला-676 215, 23 अक्तूबर, 1990

संख्या 2812-17.—क्योंकि श्री कृष्ण लाल सुपुत्र श्री सीता राम, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत कौंडल, विकास खण्ड इन्दौरा, जिला कांगड़ा को सरकारी नौकरी मिल चुकी है।

और क्योंकि कोई भी पंचायत पदाधिकारी सरकारी कर्मचारी नहीं बन सकता क्योंकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 9(5) अयोग्यता समझी जाती है।

2668-राजपत्र/90-9-11-90—1,177.

मूल्य : 1 रुपया।

अतः मैं, वी० के० अग्रवाल, अतिरिक्त उपायुक्त, कांगड़ा, हि०प्र० पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 10 तथा इसके अन्तर्गत बन पंचायत नियम, 1971 के नियम 19 (बी) के अन्तर्गत श्री कृष्ण लाल, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत कौंडल, विकास खण्ड इन्दौरा, जिला कांगड़ा का त्याग-पत्र स्वीकृत करता हूं।

वी० के० अग्रवाल,
अतिरिक्त उपायुक्त,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला।

पंचायती राज विभाग

कार्यालय आदेश

शिमला-2, 31 अक्तूबर, 1990

संख्या पी० सी० एच०-एच० ए० (5) 16/88.—क्योंकि श्री गिरधारी लाल, प्रधान, ग्राम पंचायत बढेहडा राजपूतां, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना ने पंचायत समिति गगरेट से तीन वर्ष लगातार आमों का ठेका नीलामी में 1985 से 1987 तक लिया है जिसके उपलक्ष में उन्हें वर्ष 1985 के लिए रुपये 5,753/- वर्ष 1985 के लिए रुपये 2,340/- एवं वर्ष 1987 के लिए रुपये 29,350/- की राशियां (कुल राशि मु० 37,443/- रु०) बतौर रकम ठेका उक्त पंचायत समिति को देनी थी;

2. क्योंकि श्री गिरधारी लाल, प्रधान के कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति गगरेट के बार बार लिखित अनुरोध पर भी उपर्युक्त कुल राशि 37,443/- रुपये पंचायत समिति को न दी है अतः इस ढग से जहां पंचायत समिति को हानि पहुंचाई है वहां उक्त राशि का छलहरण किया है;

3. क्योंकि श्री गिरधारी लाल उपरोक्त पंचायत समिति गगरेट के प्राथमिक सदस्य भी हैं एवं पंचायत समिति के सदस्य बने रहते हुए पंचायत समिति का कोई भी ठेका नहीं ले सकते। अतः पंचायत समिति से आमों का ठेका वर्ष 1985 से 1987 तक (लगातार तीन वर्षों) उन्होंने लेकर हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 (1970 का 19) की धारा 64 (जी) की उल्लंघना की है ;

4. क्योंकि उक्त श्री गिरधारी लाल ने उपर्युक्त ढंग से अपने पद की गरिमा को गिराया है एवं इसका दूरूपयोग किया है अतः वह अपने इन कृत्यों के दृष्टिगत उपरोक्त अधिनियम की धाराओं 9 (5) (जे) एवं 64 (जी) के अन्तर्गत क्रमशः प्रधान एवं प्राथमिक सदस्य पंचायत समिति के पदों पर बने नहीं रह सकते;

5. क्योंकि उपरोक्त तथ्य की वास्तविकता जानने के लिए मामले में तथ्यों की पुष्टि हेतु जांच का करवाया जाना अनिवार्य है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 के अन्तर्गत जांच जिला पंचायत अधिकारी, ऊना को सौंपने का सहर्ष आदेश देते हैं वह अपनी जांच रिपोर्ट उपायुक्त, ऊना के माध्यम से शीघ्र इस कार्यालय को भेजने की कृपा करेंगे।

हस्ताक्षरित/-
अवर सचिव।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।